



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
6/7 ए.टी.डी. स्ट्रीट, रेस कोर्स रोड, /A.T.D. STREET RACE COURSE ROAD,
कोयंबतूर -18/COIMBATORE -18

फा.सं. II/ 39/49/2015-हिंदी/के.उ.शु.

दिनांक .06.2016

विषय-राजभाषा- अप्रैल-जून 2016 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भिजवाने -संबंधित।

Sub - Official Language -Submission of Quarterly Progress Report for April - June 2016-Reg.

कृपया 30 जून 2016 को समाप्त होने जा रही तिमाही की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भरकर मुख्यालय के राजभाषा विभाग को 10 जुलाई 2016 तक भेज दीजिए ताकि उनको समेकित करके निरीक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

मंडल कार्यालयों में कार्यरत हिंदी संबंधित नामांकित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि रेंज कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के हिंदी ज्ञान संबंधित सही आंकड़े इकट्ठे करें एवं प्रस्तुत करें। प्रपत्र में कोई कॉलम खाली न रखें।

The Progress Report for the quarter ending 30th June 2016 has to be consolidated and sent to the Directorate General of Inspection, New Delhi.

Hence it is requested that the report may be sent in the pro-forma enclosed on or before 10 -7- 2016

The nodal officers nominated to handle the official language work are directed to collect the correct data of Hindi knowledge of officers working in the range offices under their divisions and submit the report and no column should be left blank in the Pro-forma.

अनीष

(अनीष मुरलीधरन /ANISH MURALEEDHARAN)

उपायुक्त /DEPUTY COMMISSIONER

Encl.-as above

सेवा में,

To

उपायुक्त/ सहायक आयुक्त,
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर,
कोयंबतूर I/II/III/IV/तिरुपुर/पोल्लाची कून्नूर मंडल कार्यालय,
सभी अनुभाग प्रमुख, मुख्यालय/हवाई अड्डा(प्रशासन)

The Deputy / Assistant Commissioner
Central Excise ,Customs and Service Tax
Coimbatore-I/II/III/IV Tirupur/Pollachi/Coonoor -
Divisional Offices /All Section Head/ Hqrs.Cbe
(Airport Admin.)



राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

1. अधिकारियों/कर्मचारियोंको राजभाषा हिंदी का ज्ञान

(क)

क्रमांक	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान हिंदी ज्ञान स्कूल या कॉलेज में हिंदी पढा हो, प्रबोध पास किया है, प्रवीण पास किया है, प्राज्ञ पास किया है
1.		
2.		

(ख)

क्रमांक		कुल संख्या	राजपत्रित	अराजपत्रित
1.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या			
2.	स्कूल या कॉलेज में हिंदी पढा हो			
3.	प्रबोध पास किया है			
4.	प्रवीण पास किया है			
5.	प्राज्ञ पास किया है			
6.	हस्ताक्षर हिंदी में करने में समर्थ			
7.	हिंदी में किए कार्य का %			

(राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वो अधिकारी /कर्मचारी जिनको हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, उनको कुल कार्य का 30% हिंदी में करना आवश्यक है। हिंदी में प्रवीणता का अर्थ यह है कि स्कूल या कॉलेज में हिंदी पढा हो या हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ की परीक्षा पास की हो।)

2. द्विभाषी सामग्री (लक्ष्य 100 %)

क्रमांक	सामग्री	कुल सं. द्विभाषी में उपलब्ध	आवश्यक	इस वर्ष में तैयार
1.	नाम की मुहरें			
2.	नाम बैज			
3.	लोगो			
4.	अधिकारियों का नाम पट्ट			
5.	कार्यालय/अनुभाग का नाम पट्ट			
6.	फाइल आवरण			
7.	रजिस्टर आवरण			
8.	की-बोर्ड			
9.	कंप्यूटरों में यूनिकोड			
10.	कोड/मैनुअल			
11.	प्रपत्र			

3. पत्राचार

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात*(01-04-2016 to 30-06-2016)

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात

* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, प्रशासनिक रिपोर्ट, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, आदि शामिल हैं।

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) | (01-04-2016 to 30-06-2016)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

3. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा | (लक्ष्य 55%) (01-04-2016 to 30-06-2016)

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

(कोयंबतूर ग क्षेत्र में आता है)

4. फाइलों पर हिंदी में कार्य | तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां (लक्ष्य 30%) (01-04-2016 to 30-06-2016)

(क)	हिंदी में	
(ख)	अंग्रेजी में	
(ग)	कुल संख्या	

5. क्या हिंदी में किए गए कार्य एवं प्राप्त पत्रों भेजे गए पत्रों के रिकॉर्ड के लिए अलग से फाइल एवं रजिस्टर रखे गए हैंहाँ/नहीं
6. क्या राजभाषा के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जांच बिन्दु स्थापित किया गया है या निरीक्षण किया जा रहा है यदि हाँ, विवरण दें

(अनुभाग/मंडल प्रधान के हस्ताक्षर)

Quarterly Progress Report Pro-Forma

1. Officers/Employees possessing knowledge of Official Language Hindi:-

Sl.no.	Name and designation of the officer/ employee	Present Hindi knowledge, Whether passed Prabodh, Praveen, Pragma or studied at school, college or any other exam
1.		
2.		

Sl.no		Total	Gaz	Non -Gaz
1.	Total no. of officers			
2.	Studied Hindi at School /College			
3.	Passed Prabodh			
4.	Passed Praveen			
5.	Passed Pragma			
6.	Able to sign in Hindi			
7.	Work done in Hindi %			

(By the officers possessing the proficient knowledge in Hindi. It means Officers/Employees who have Studied Hindi at School /College or have passed the Pragma exam conducted by the Hindi Teaching Scheme.)
(Target- 30% of the work done in total according to the Annual Programme received from Ministry of Home Affairs, Department of Official language)

2. Material in Bilingual (target 100%)

Sl.no.	Material	Total Available in Bilingual	Required	Made in This Quarter
1.	Name Seals			
2.	Name Badge (for uniformed officers)			
3.	Logo (for uniformed officers)			
4.	Name Plates for the Officers			
5.	Office/Section Name Plates			
6.	File Covers			
7.	Register Covers			
8.	Keyboards			
9.	Unicode in Computers			
10.	Code, Manual			
11.	Standard Forms			

3. Correspondence

1. Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963 (01-04-2016 to 30-06-2016)

(a) Total no. of documents issued	(b) No. of documents issued in bilingual	(c) No. of documents issued only in English

Documents coming under *Section 3(3) of Official Languages Act, 1963 (General Orders, Circulars, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender/Trade Notices, Administrative Reports, Covering Letters of Reports, Advertisements, Banners, Invitations, Parliament Questions etc. must be issued in bilingual only)

2. Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5) (01-04-2016 to 30-06-2016)

(a) Total no. of letters received in Hindi	
(b) No. of letters replied in English	

Official Languages Rules 1976 rule- 5(it means that any letter received in Hindi-must be replied in Hindi only)

3. Details of total letters issued (target Region C to Region "A" ,"B" and "C" 55%) (01-04-2016 to 30-06-2016)

	In Hindi/Bilingual	English only	Total No. of letters issued	Percentage of letters issued in Hindi/Bilingual
To Region 'A'				
To Region 'B'				
To Region 'C'				

(A)"Region A" means the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands;

(B)"Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union Territory of Chandigarh, *Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli* ;

(C)"Region C" means Andhra Pradesh, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Kerala, Karnataka, Goa, Jammu and Kashmir, Sikkim, Tripura, West Bengal, Tamil Nadu (Please note that Coimbatore comes under region "C")

4. Noting in Hindi on files: No. of noting made during the quarter (target 30%) (01-04-2016 to 30-06-2016)

In Hindi	
In English	
Total No.	

5. Have separate files and registers been kept for the records of the work done in Hindi, letters received and despatched in Hindi ?

yes

No

.....

.....

6. Whether any check points have been established or inspection conducted regarding implementation official language? If any give details.....

(Signature of Section/Division Head)